

राजस्थान सरकार

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.1(ए)59/पार्ट-8/संस्था/बीमा/2020/

दिनांक : 01-10-2020

-:आदेश:- 315

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के नियम 41 के अन्तर्गत विभाग में नियमित रूप से चयनित/नियुक्त निम्नांकित कनिष्ठ सहायकों को उनके द्वारा स्थायीकरण हेतु अर्हता पूर्ण किए जाने की दिनांक से कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थायी किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	नियमित नियुक्ति तिथि	RSCIT कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण किए जाने की दिनांक	कम्प्यूटर टंकण गति परीक्षा उत्तीर्ण किए जाने की दिनांक	स्थायीकरण हेतु अर्हता पूर्ण किए जाने की दिनांक	नियुक्ति का प्रकार	वर्तमान पदस्थापन स्थान
1	श्री नवीन शर्मा	30.10.2000	लागू नहीं	17.08.2020	17.08.2020	मृतक आश्रित	अलवर
2	श्री सुरेन्द्र सिंह देवड़ा	11.12.2007	लागू नहीं	05.06.2020	05.06.2020	मृतक आश्रित	जैसलमेर

निदेशक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(क. एम. दूडिया) 23/07/2020

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

क्रमांक: एफ.1(ए)59/पार्ट-8/संस्था/बीमा/2019/ 8121-30

दिनांक : 01-10-2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

- वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर संभाग द्वितीय, जोधपुर संभाग।
- संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, अलवर, जैसलमेर को कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में उक्त आदेश का अंकन किया जाने बाबत।
- सिस्टम एनालिस्ट/उपनिदेशक, सिस्टम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट <http://sipf.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करावें ताकि सम्बन्धित कर्मचारी डाउनलोड कर सकें।
- संबन्धित कर्मचारीगण।
- वरिष्ठता निर्धारक/केडर स्ट्रेंथ लिपिक।
- रक्षित पत्रावली

20
(रामपाल परसोया)
संयुक्त निदेशक (संस्थापन)